	राजस्थान राज–पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
	आश्विन 13, सोमवार, शाके 1937–अक्टूबर 5, 2015 *Asvina 13, Monday, Saka 1937-October 5, 2015*	

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT
(GROUP-II)

NOTIFICATION

Jaipur, October 5, 2015

No. F. 2 (37) Vidhi/2/2015.- The following Act of the Rajasthan State Legislature which received the assent of the Governor on the 30th day of September, 2015 is hereby published for general information:-

THE RAJASTHAN SECONDARY EDUCATION (AMENDMENT) ACT, 2015
(Act No. 24 of 2015)

[Received the assent of the Governor on the 30th day of September, 2015]

An

Act

further to amend the Rajasthan Secondary Education Act, 1957.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-sixth Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Secondary Education (Amendment) Act, 2015.

(2) It shall be deemed to have come into force on and from 29th June, 2015.

2. Amendment of section 9, Rajasthan Act No. 42 of 1957.- In section 9 of the Rajasthan Secondary Education

Act, 1957 (Act No. 42 of 1957), after the existing clause 2 and before the existing clause (3), the following shall be inserted, namely:-

"(2A) conduct eligibility test for teachers in accordance with the guidelines issued by National Council for Teacher Education established under section 3 of the National Council for Teacher Education Act, 1993 (Central Act No. 73 of 1993), in pursuance of section 23 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (Central Act No. 35 of 2009);".

3. Repeal and savings.- (1) The Rajasthan Secondary Education (Amendment) Ordinance, 2015 (Ordinance No. 5 of 2015) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, all things done, actions taken or orders made under the principal Act as amended by the said Ordinance shall be deemed to have been done, taken or made under the principal Act as amended by this Act.

दीपक माहेश्वरी,

Principal Secretary to the Government.

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप–2)

अधिसूचना

जयपुर, अक्टूबर 5, 2015

संख्या प. 2 (37) विधि/2/2015.–राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 (1956 का राजस्थान अधिनियम सं. 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में "दी राजस्थान सेकेण्डरी एज्यूकेशन (अमेण्डमेन्ट) एक्ट, 2015

(एक्ट नं. 24 ऑफ 2015)" का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है:–

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 2015

(2015 का अधिनियम संख्यांक 24)

[राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 30 सितम्बर, 2015 को प्राप्त हुई]

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1957 को और संशोधित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान माध्यमिक शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 2015 है।

(2) यह 29 जून, 2015 को और से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

2. **1957 के राजस्थान अधिनियम सं. 42 की धारा 9 का संशोधन.**- राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1957 (1957 का अधिनियम सं. 42) की धारा 9 में विद्यमान खण्ड (2) के पश्चात् और विद्यमान खण्ड (3) के पूर्व निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(2क) नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 35) की धारा 23 के अनुसरण में, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 (1993 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 73) की धारा 3 के अधीन स्थापित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा जारी किये गये मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार, अध्यापकों के लिए पात्रता परीक्षा का संचालन करेगा;"।

3. **निरसन और व्यावृत्तियां.**- (1) राजस्थान माध्यमिक शिक्षा (संशोधन) अध्यादेश, 2015 (2015 का अध्यादेश सं. 5) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होने पर भी उक्त अध्यादेश के द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गयी समस्त बातें, कार्रवाइयां या

किये गये आदेश इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन किये गये समझे जायेंगे।

दीपक माहेश्वरी,
प्रमुख शासन सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।